Email / Website

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3142 दिनांक 5/8/14

आदेश

सां. आ. 86 / 2014. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 के उपनियम (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्व होगा और यह मतपत्र एवं प्रतिपर्ण ऐसे प्रारूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 1942 दिनांक 01.08.1995 (सांविधिक आदेश संख्या 21 / 95) द्वारा मतपत्र एवं उसके सम्बद्व प्रतिपर्ण का प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules / DLB / 14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 के उप नियम (2), (5), एवं (6) में मतदाताओं को 'नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं)' का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों के प्रभाव में आने से पूर्व विहित प्ररूप में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1942 दिनांक 01.08.1995 (सांविधिक आदेश संख्या 21 / 95) को अतिक्रमित करते हुए मतपत्र एवं उससे सम्बद्व प्रतिपर्ण का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है :–

1. प्रत्येक मतपत्र से एक प्रतिपर्ण सम्बद्ध होगा। प्रतिपर्ण मतपत्र के शीर्ष भाग पर होगा और उसकी चौड़ाई (Width) 15 एम्स (15 ems) से अधिक नहीं होगी। प्रतिपर्ण पर निम्नलिखित विवरण होगा :–
   (क) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर बीच में सिलाई करने की जगह,
   (ख) प्रतिपर्ण के शीर्ष भाग पर एक एम (1मउ) मोटाई का एक काला किनारा,
   (ग) उपर्युक्त मद (ख) के ठीक नीचे निर्वाचन के विवरण मुद्रित किये जायेंगे, जिसमें वार्ड संख्यांक एवं नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप–निर्वाचन और वर्ष का उल्लेख होगा,
   (घ) बांई ओर 'मतदाता सूची की भाग संख्या' और ' मतदाता की क्रम संख्या' एक दूसरे के नीचे सुविधानुसार,
   (ड.) बांई ओर अग्रभाग पर मतपत्र की क्रम संख्या,
   (च) दाहिनी ओर शब्द 'हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप' के ठीक उपर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के लिए जगह, और
   (छ) छेददार पटटी के साथ 1 एम चौड़ाई में कई रेखायें 1 नीचे एक पृथक सीधी रेखा जो मतपत्र को प्रतिपर्ण से अलग करती है।
2. मतपत्र पर छेददार पटटी की पृथक रेखा के नीचे 1 एम चौड़ाई में कई रेखायें होंगी।
3. मतपत्र के अग्रभाग पर केवल वार्ड संख्यांक, नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का नाम, वर्ष, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और उनको आवंटित प्रतीक तथा **'नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक'** दिये जायेंगे। वार्ड संख्यांक नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का नाम, यथास्थिति, सांकेतिक शब्दों में जैसे 'साधा0 नि0' या 'उप नि0' और निर्वाचन का वर्ष का विवरण उपर प्रथम अभ्यर्थी के नाम के स्थान के नीचे गहरे रंग वाले भाग (Shaded area) में मुद्रित किया जायेगा।
4. मतपत्र की क्रम संख्या बांई ओर अग्रभाग पर मुद्रित की जायेगी, जिसे प्रथम अभ्यर्थी के लिये निश्चित स्थान में अथवा प्रथम अभ्यर्थी के नाम के स्थान के नीचे गहरे रंग वाले भाग में अंकित किया जायेगा।
5. मतपत्र की चौड़ाई (Width) 4 इंच होगी।

6. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बांई ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये आवंटित जगह की चौड़ाई $6\ ^1/_2$ एम्स होगी और किन्हीं भी दो अभ्यर्थियों के लिये आवंटित स्थान के बीच में गहरे रंग वाले भाग की चौड़ाई 3 एम्स होगी तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए भी आवंटित जगह की चौड़ाई $6\ ^1/_2$ एम्स होगी। अंतिम अभ्यर्थी तथा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए आवंटित स्थान के बीच गहरे रंग वाले भाग की चौड़ाई 3 एम्स होगी। सबसे नीचे 1 एम चौड़ा गहरे काले रंग का किनारा होगा।

8. प्रत्येक प्रतीक का आकार 9 एम्स X $5\ ^1/_2$ एम्स से अधिक नहीं होगा।

9. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।

10. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी ।

11. जहॉ किसी निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जायें वहां मतपत्रों को निम्न प्रकार से मुद्रित करना आवश्यक है:–

ऐसी स्थिति में मतपत्र को स्तम्भों में मुद्रित किया जायेगा और उसके प्रतिपर्ण की चौड़ाई उपयुक्त बिन्दु–5 में यथाविनिर्दिष्ट एक स्तम्भ के मतपत्र की चौड़ाई की स्तम्भों की संख्यानुसार गुणा करके होगी। बीच में उपर से नीचे तक कम से कम 2.5 एम्स चौड़ा गहरे रंग का भाग होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में शुद्ध वर्णानुक्रम में एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे, आदि स्तम्भों में अंकित किये जायेंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (उपरोक्त में से काई नहीं) के विकल्प सहित जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी विषम संख्या में हो वहां मतपत्र के दाहिने अन्तिम स्तम्भ पर अन्तिम पैनल पूर्णतया रंगदार (Shaded) होगा।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश बसवाली)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 3143–51 दिनांक 5/8/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राजय निर्वाचन आयोग।
4. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0, जयपुर।
6. समस्त निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के भाग 6(क) में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. गार्ड फाईल।

5/8/2014
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव